

दिल्ली विकास प्राधिकरण
रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
रोहिणी सेक्टर-14, दिल्ली-110085

दिल्ली विकास प्राधिकरण (खेल विंग) के अध्यक्ष की ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

एनआईटी संख्या 02/आरएससी/डीडीए/2025-26

कार्य का नाम:- रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डीडीए का रखरखाव।

उपशीर्षक:- मासिक लाइसेंस शुल्क के आधार पर रोहिणी खेल परिसर, डीडीए में जिमनाजियम / फिटनेस सेंटर का संचालन, रखरखाव और संचालन।

आरक्षित मूल्य:- ₹. 2,79,960/- प्रति माह + जीएसटी लागू होगा

वार्षिक अनुमानित अनुबंध मूल्य:- ₹. 33,59,520/- + जीएसटी जो लागू हो

बयाना राशि:- ₹. 67,190/-

अनुमत समय:- 12 महीने

ऑनलाइन बोली जमा करने की अंतिम तिथि:- 09/05/2025 अपराह्न 3:00 बजे तक

ऑनलाइन बोली खोलने की तिथि: 10/05/2025 अपराह्न 03:30 बजे

ऑनलाइन वित्तीय बोली खोलने की तिथि:- बाद में सूचित की जाएगी

निविदा शुल्क

1. बोलीदाता 500 रुपये प्रति निविदा की दर से 18% जीएसटी के साथ गैर-वापसी योग्य शुल्क आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से "सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए" के खाते में जमा करेंगे, जिसका खाता संख्या 1611994900 है, "कोटक महिंद्रा बैंक, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली, (आईएफएससी. केकेबीके0000184)" के साथ। भुगतान विवरण के साथ यूटीआर नंबर ऑनलाइन अपलोड करें। यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह खाता ईएमडी जमा खाते से अलग है।
2. यदि किसी कारणवश निविदा पुनः आमंत्रित की जाती है, तो जिस बोलीदाता ने पहले ही निविदा शुल्क का भुगतान कर दिया है, उसे पुनः निविदा शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
3. यदि कोई बोलीदाता अपनी बोली वापस ले लेता है या किसी भी तरह से ऐसा कार्य करता है जिससे निविदा रद्द हो जाती है या निविदा पुनः आमंत्रित की जाती है और यदि सक्षम प्राधिकारी ऐसे बोलीदाता को भविष्य की निविदाओं में भाग लेने की अनुमति देता है, तब भी निविदा शुल्क का कोई समायोजन नहीं किया जाएगा जैसा कि ऊपर बिंदु 2 में बताया गया है।
4. यदि कोई ठेकेदार बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक भुगतान करने में विफल रहता है, तो संबंधित ठेकेदार निविदा के लिए पात्र नहीं होगा।

5. निविदा खुलने तक निविदाकर्ताओं को किसी भी दस्तावेज की हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रासंगिक दस्तावेजों की हार्ड कॉपी केवल उच्चतम बोली लगाने वाले से ही मांगी जाएगी।

नियम एवं शर्तों, विशेष कार्य के पात्रता मानदंड, अन्य जानकारी/निर्देशों के लिए कृपया डीडीए की वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> या www.dda.org.in पर जाएं। ई-टेण्डरिंग पर किसी भी सहायता के लिए कृपया संबंधित ईई या मेसर्स एनआईसी से ईमेल cphp-nic@nic.in या 0120-4200462, 0120-4001002, , 0120-4001005 और 0120-6277787 पर संपर्क करें या support-eproc@nic.in पर मेल भेजें।

**दिल्ली विकास प्राधिकरण
रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
रोहिणी सेक्टर-14, दिल्ली-110085**

एनआईटी संख्या 02/आरएससी/डीडीए/2025-26

1. दिल्ली विकास प्राधिकरण (खेल शाखा) के अध्यक्ष की ओर से निम्न कार्य के लिए ऑनलाइन निविदाएं पुनः आमंत्रित की जाती हैं: -
लाइसेंस शुल्क के आधार पर एक वर्ष (बारह महीने) की अवधि के लिए रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डीडीए में जिमनाज़ियम / फिटनेस सेंटर का संचालन, रखरखाव और संचालन। निविदा दो भागों में होगी अर्थात् 'भाग-I' में तकनीकी बोली और 'भाग-II' में 'वित्तीय बोली' होगी। निर्धारित तरीके से प्रस्तुत नहीं की गई बोली का हिसाब नहीं लिया जाएगा।
2. केवल वे एजेंसियाँ / फर्म / व्यक्ति जिनका 31/03/2024 को समाप्त होने वाले पिछले सात वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक पाँच वित्तीय वर्षों में न्यूनतम टर्नओवर ₹ 5.00 लाख (खेल परिसरों के भीतर मल्टी-जिम के लिए) और ₹ 2.00 लाख (ग्रीन एरिया में मल्टी-जिम के लिए) है, जो वैध यूडीआईएन वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत ऑडिट और प्रमाणित हैं, निविदाएँ प्रस्तुत करने के हकदार हैं। यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम टर्नओवर मानदंड केवल जिम संचालन से ही पूरा किया जाना चाहिए और इसे पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा वैध यूडीआईएन नंबर के माध्यम से विशेष रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए।
3. केवल उन एजेंसियों/फर्म/व्यक्ति पर विचार किया जाएगा जिनके पास सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सरकारी स्वायत्त निकायों, सरकारी स्कूलों और निजी जिम में अनुभव हो।
4. जिमनेजियम/फिटनेस सेंटर रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डीडीए में स्थित है। निविदाएं इच्छुक निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी। रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स।

निविदा के भाग-I अर्थात् तकनीकी बोली में, निविदाकर्ता अगले पृष्ठ पर "तकनीकी बोली" के अंतर्गत सूचीबद्ध विवरण अपलोड करेगा।

भाग-II में वित्तीय बोली शामिल होनी चाहिए जिसमें निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तावित मासिक लाइसेंस शुल्क (प्रति माह) दर्शाया गया हो। प्रस्ताव शब्दों और आंकड़ों दोनों में दिया जाना चाहिए।

क्रम सं.	एनआईटी सं.	बयाना राशि	अनुबंध की अवधि	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	वित्तीय बोली खोलने की तिथि एवं समय
	कार्य का नाम	आरक्षित मूल्य		दस्तावेज़/तकनीकी बोली खोलने की तिथि और समय	
1.	एनआईटी संख्या 02/आरएससी/डीडीए/2025-26	₹. 67,190/-	12 महीने	09/05/2025	बाद में सूचित किया जाएगा
	अब: रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रखरखाव, डीडीए।	₹. 2,79,960/- प्रति माह + जीएसटी लागू होने पर		अपराह्न 3:00 बजे तक	
	मासिक लाइसेंस शुल्क के आधार पर रोहिणी खेल परिसर, डीडीए में जिमनाज़ियम / फिटनेस सेंटर का संचालन, रखरखाव और संचालन।			10/05/2025 अपराह्न 03:30 बजे	

टिप्पणी:

1. निविदा खुलने तक निविदाकर्ता को किसी भी दस्तावेज की हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे अधिक राशि की निविदा देने वाली एजेंसी से संबंधित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी की आवश्यकता होगी।
2. निविदा के भाग-I अर्थात् तकनीकी बोली में, निविदाकर्ता को तकनीकी बोली के अंतर्गत सूचीबद्ध दस्तावेजों के प्रमाणित प्रमाण का विवरण अपलोड करना होगा। कंपनी/फर्म के मामले में, पंजीकरण प्रमाणपत्र और एसोसिएशन के अनुच्छेद की सत्यापित प्रति भी प्रस्तुत की जाती है। निविदा के भाग-II में वित्तीय बोली होनी चाहिए जिसमें निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तावित मासिक शुल्क (प्रति माह) दर्शाया गया हो।

3. निविदा दस्तावेज ई-टेंडरिंग पोर्टल अर्थात www.eprocure.gov.in/eprocure/app या www.dda.org.in से प्राप्त/डाउनलोड किए जा सकते हैं। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक। 67,190/- रुपये की बयाना राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से “सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए (ईएमडी खाता)” के खाते में जमा की जाएगी, जिसका खाता संख्या 1614159849 है, जो “कोटक महिंद्रा बैंक, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली, (आईएफएससी. केकेबीके0000184)” के साथ है। आरटीजीएस/एनईएफटी का विशिष्ट लेनदेन संदर्भ निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित तिथि तक ई-टेंडरिंग प्रणाली में अपलोड किया जाना चाहिए। डीडीओ संबंधित निविदा खोले जाने से पहले प्रत्येक आरटीजीएस/एनईएफटी भुगतान के विरुद्ध विशिष्ट लेनदेन संदर्भ संख्या के आधार पर अपने बैंकों से निविदा बयाना राशि सत्यापित करवाएंगे।
4. बोलीदाता एक यूटीआर का इस्तेमाल केवल एक काम के लिए करेगा। अगर यह पाया जाता है कि उसने अलग-अलग निविदाओं के लिए एक ही यूटीआर नंबर का इस्तेमाल किया है, तो उसके द्वारा जमा की गई सभी निविदाएं खारिज कर दी जाएंगी और उसे भविष्य में डीडीए में आगे की निविदाएं देने से रोक दिया जाएगा।
5. **नियम एवं शर्तों, विशेष कार्य के पात्रता मानदंड, अन्य जानकारी/निर्देशों के लिए कृपया डीडीए की वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> या www.dda.org.in पर जाएं। ई-टेंडरिंग पर किसी भी सहायता के लिए कृपया संबंधित सचिव/डीडीओ या मेसर्स एनआईसी से ईमेल cpnp-nic@nic.in या 0120-4200462, 0120-4001002, , 0120-4001005 और 0120-6277787 पर संपर्क करें या support-eproc@nic.in पर मेल भेजें।**

निविदाकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें। निविदाकर्ताओं को निविदा में भाग लेने से पहले इन्हें पढ़ना आवश्यक है।

1. ईएमडी के विरुद्ध एनईएफटी/आरटीजीएस पर अद्वितीय लेनदेन संदर्भ "रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डीडीए में मासिक लाइसेंस शुल्क के आधार पर जिमनाजियम/फिटनेस सेंटर के संचालन, रखरखाव और संचालन के लिए निविदा के लिए निर्दिष्ट स्थान पर ऑनलाइन रखा जाएगा। पहला लिफाफा जिसमें "तकनीकी बोली" के साथ-साथ "ईएमडी का संदर्भ" भी शामिल है।
2. तकनीकी बोलियाँ निर्धारित तिथि और समय पर समिति या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अधिकृत बोली खोलने वालों द्वारा ऑनलाइन खोली जाएंगी। केवल उन्हीं निविदाकर्ताओं की वित्तीय बोलियाँ खोली जाएंगी जिनकी तकनीकी बोलियाँ योग्य होंगी, तथा समय और स्थान पर जिसकी सूचना दी जाएगी। तकनीकी रूप से योग्य निविदाकर्ता वित्तीय बोलियों के खुलने के समय बोली पावती रसीद के साथ व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र होंगे या वे बोली खोलने की घटना को अपने दूरस्थ छोर पर ऑनलाइन देख सकते हैं।
3. निविदाकर्ता को 67,190/- रुपये बयाना राशि के रूप में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा करवाना होगा। यदि निविदा स्वीकार कर ली जाती है तो यह राशि डीडीए द्वारा सुरक्षा जमा के रूप में रख ली जाएगी, अन्यथा यह राशि वापस कर दी जाएगी। हालांकि बयाना राशि पर कोई व्याज देय नहीं होगा।
4. निविदा दो भागों में ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात तकनीकी बोली और वित्तीय बोली।

तकनीकी बोली

निविदाकर्ताओं को तकनीकी बोली में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-

- i. निविदा शुल्क की स्कैन की गई प्रति आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से “सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए” के खाते में जमा की जाएगी, जिसका खाता संख्या 1611994900 है, “कोटक महिंद्रा बैंक, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली, (आईएफएससी. केकेबीके0000184), (आईएफएससी. केकेबीके0000184)। कृपया ध्यान दें कि यह खाता ईएमडी बैंक खाते से अलग है।
- ii. बयाना राशि की स्कैन की गई प्रति आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से “सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए (ईएमडी खाता)” के खाते में जमा की जाएगी, जिसका खाता संख्या 1614159849 है, “कोटक महिंद्रा बैंक, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली-110049, (आईएफएससी. केकेबीके0000184) के साथ। कृपया ध्यान दें कि यह खाता निविदा शुल्क भुगतान खाते से अलग है।
- iii. कंपनी/फर्म के मामले में, पंजीकरण प्रमाणपत्र और एसोसिएशन के अनुच्छेद की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- iv. साझेदारी फर्म के मामले में, साझेदारी विलेख, पंजीकरण प्रस्तुत किया जाएगा और स्वामित्व फर्म के मामले में सभी मालिकों का विवरण और स्वामित्व चिंता में प्रतिशत स्वामित्व प्रस्तुत किया जाएगा।
- v. बोली के अंतिम दिन सक्रिय और वैध जीएसटी पंजीकरण की स्कैन की गई प्रति।
- vi. पैन नम्बर की स्कैन की गई प्रति।
- vii. एनआईटी में दिए गए प्रारूप के अनुसार निविदा स्वीकृति पत्र की स्कैन की गई प्रति (कंपनी लेटर हेड पर दी जानी है)।
- viii. एनआईटी में दिए गए प्रारूप के अनुसार निविदा आवेदन पत्र की स्कैन की गई प्रति।
- ix. 31/03/2024 को समाप्त होने वाले पिछले सात वित्तीय वर्षों में से किसी भी पांच वित्तीय वर्षों के लिए बैलेंस शीट द्वारा समर्थित वार्षिक टर्नओवर की स्कैन की गई प्रति, वैध यूडीआईएन वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत ऑडिट और प्रमाणित।
- x. जिम संचालन से प्राप्त टर्नओवर की स्कैन की गई प्रति, जो वैध यूडीआईएन के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित हो।
- xi. यदि पहले से पंजीकृत है तो ईपीएफओ और ईएसआईसी के साथ पंजीकरण के प्रमाण की स्कैन की गई प्रति।
- xii. गैर-न्यायिक 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक वचनबद्धता की स्कैन की गई प्रति, जिसमें निम्नलिखित धाराएं हों:-
 - a. अनिवार्य ईएसआई/ईपीएफ अंशदान का भुगतान न करने के कारण ईएसआई /ईपीएफ विभाग द्वारा लगाए गए किसी भी जुर्माने के लिए एजेंसी पूर्णतः उत्तरदायी होगी तथा इस संबंध में स्टाम्प पेपर पर एक वचनबद्धता प्रस्तुत करने की होगी।

- b. यदि एजेंसी दावा करती है कि वह ईएसआईसी और ईपीएफ अधिनियमों के तहत खुद को पंजीकृत कराने के लिए बाध्य नहीं है (और ईपीएफओ और ईएसआईसी के साथ पंजीकरण का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करती है) तो यह कार्य स्टाम्प पेपर पर किया जा सकता है।
- c. किसी भी कानून/संविधि के अंतर्गत आने वाले बोनस सहित सभी वैधानिक भुगतान, बोलीदाता की एकमात्र जिम्मेदारी होगी और डीडिए को किसी भी वित्तीय दायित्व से लाइसेंसधारी द्वारा संरक्षित किया जाएगा, जो किसी भी सरकारी कानून, नीति, दिशानिर्देश, संविधि आदि के गैर-अनुपालन के कारण उत्पन्न हो सकता है।
- d. बोली प्रस्तुत करते समय स्टाम्प पेपर पर इस आशय के वचन की स्कैन की गई प्रति कि एजेंसी को किसी सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या निजी संगठन एजेंसी/फर्म/व्यक्ति/निविदाकर्ता द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है या उस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

xiii. एनआईटी की धाराओं के अनुसार आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज।

तकनीकी बोली के साथ आवश्यक जानकारी और/या दस्तावेजों के संबंध में कमी पाए जाने पर किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

मूल्य बोली

- i) के प्रारूप में वित्तीय बोली की अनुसूची

-Sd-
आरई (सिविल) /आरएससी, डीडिए